माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रं. / निगरानी R-3380-II/13

सालगराम पिता श्री नानुराम, आयु–40 वर्ष,
धंधा–कृषि, जाति–मोगिया,
निवासी–ग्राम सनावदा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन
---- आवेदक /निगरानीकर्ता

विरूद्ध

बजेराम पिता हरिराम, आयु–65 वर्ष
व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम सनावदा तहसील
बड़नगर जिला उज्जैन----अनावेदक/प्रत्यर्थी

न्यायालय तहसीलदार महोदय, तह. बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रं. 06–अ–13/निगरानी/12–13 में आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र.भू–राजस्व संहिता में अंतरिम आदेश दिनांक 25/06/2013 से असंतुष्ट एवम् दुखी होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी याचिका ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी याचिका प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इसप्रकार है कि, अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र रास्ता खुलवाने हेतु धारा 131 भू–राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया साथ ही उसने आवेदन पत्र धारा 32 भू–राजस्व संहिता का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें आवेदक ने बताया है कि कृषि भूमि सर्वे नंबर 279 रकबा 0.63 हे. की उसके नाम पर हैं और जिसमें अनावेदक की भूमि सर्वे नं. 281 रकबा 0.12 हे., ग्राम सनावदा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन में स्थित है । प्रार्थी सर्वे नं. 283 में आवेदक का मकान बना हुआ हैं जिसमें वह निवास करता हैं तथा वह भूमि सर्वे नं. 283 के पश्चिम मेड़ से होकर भूमि सर्वे नं. 281 की पूर्वी मेड़ से होकर भूमि सर्वे नं. 279 पर आवागमन करता हैं तथा यह रास्ता आदुत होकर अत्यन्त प्राचीन व रूढ़ीगत मार्ग है, जिसमें अनावेदक ने अपनी भूमि सर्वे नं. 282 स्वामित्व व आधिपत्य की है उस पर कोई प्राचिन मार्ग न होन से विरोध किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न मानते हुए उसका अवरोध खोलते हुए अंतरिम

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3380-एक/13 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री कमल सिंह राठौर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	